



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या-576-कार्य/चौदह-पाकालि/2020-138-के/2011

दिनांक: 30 मार्च, 2020

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० एवं उसके सहयोगी वितरण निगमों तथा केस्को में उ० प्र० लोक निर्माण विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों से सम्बन्धित कराये जा रहे कार्यों के लिये एतद्वारा निम्नवत् व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है :-

1. 33 के० वी० तक की लाईनों एवं सम्बन्धित उपकरणों के शिफ्टिंग का कार्य उ० प्र० लोक निर्माण विभाग (यू०पी० पी०डब्ल्यू०डी०) द्वारा उ०प्र०पा०का०लि० के अनुमोदित वेण्डर्स एवं सप्लायर्स के माध्यम से कराया जा सकेगा।
2. जो कार्य उ० प्र० लोक निर्माण विभाग (यू०पी०पी०डब्ल्यू०डी०) द्वारा सम्पादित किये जायेंगे उसमें 05 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि० को उ० प्र० लोक निर्माण विभाग (यू०पी०पी०डब्ल्यू०डी०) द्वारा देय होगा।
3. उपरोक्त प्रस्ताव सशर्त होगा कि उ० प्र० लोक निर्माण विभाग (यू०पी०पी०डब्ल्यू०डी०) अपने शिफ्टिंग सम्बन्धी कार्यों पर सुपरविजन चार्ज अधिकतम 05 प्रतिशत तक उ०प्र०पा०का०लि० से चार्ज करेगा।
4. जो कार्य उ०प्र०पा०का०लि० स्वयं करेगा, उसमें सुपरविजन चार्ज यथावत् 15 प्रतिशत रहेगा।

संख्या : 576-(1)-कार्य/चौदह-पाकालि/2020 तददिनांक।

निदेशक मण्डल

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष के निजी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ को उनके पत्र सं० 315-प्र०नि०/विविनिलि/सुपरविजन दिनांक 30.12.2019 के सन्दर्भ में।
7. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणान्चल, विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को-कानपुर।
8. समस्त निदेशकगण (का०प्र० एवं प्रशा०/वित्त/वितरण/वाणिज्य), समस्त डिस्काम।
9. अपर सचिव-I,II उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी निदेशक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
11. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), समस्त डिस्काम एवं केस्को, कानपुर।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट-www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
13. कट फाइल।

आज्ञा से,